

राहुल गांधी की अनुपस्थिति में कांग्रेस की केन्द्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी

यह बैठक बिहार के प्रथम चरण के चुनाव के उम्मीदवारों के चयन के लिए आयोजित की गई है

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 7 अक्टूबर। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने के लिए कांग्रेस की केन्द्रीय चुनाव समिति (सैन्ट्रल इलेक्शन कमेटी-सीईसी) की मीटिंग कल आयोजित की जाएगी। इस बैठक में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, दोनों मौजूद नहीं होंगे।

राहुल गांधी इन दिनों दक्षिण अमेरिका के 20 दिन के दौर पर हैं और वे 9 अक्टूबर को ही दिल्ली लौटने वाले हैं। जो नेता बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे, उनके लिए यह बैठक ज़ूम पर आयोजित की जाएगी।

लेकिन असली समस्या यह है कि महागठबंधन अब तक यह तय नहीं कर पाया है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यह मुद्दा अभी पूरी तरह खुला हुआ है।

कांग्रेस के लिए सीटों की संख्या

■ राहुल व खड़गे ज़ूम के मार्फत बैठक में शामिल होंगे। जैसा कि विदित है, राहुल बीस दिन की साथथ अमेरिका की यात्रा पर गये हैं और नौ अक्टूबर को ही लौटेंगे। पर, थोड़ी अटपटी बात यह है कि महागठबंधन अभी तक यह भी निश्चित नहीं कर पाया है कि उसकी घटक पार्टियों में कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा।

■ अपुष्ट समाचारों के अनुसार कांग्रेस 50-55 सीटों पर ही उम्मीदवार खड़ा करेगी। यह संख्या गत चुनावों की संख्या से कम है। विचारणीय बात यह है कि बिहार के चुनावों में किसी भी कीमत पर जीत हासिल करना भाजपा के लिए अतिआवश्यक है। इस अवसर पर राहुल गांधी ने साथथ अमेरिका की यात्रा का प्रोग्राम क्योा बनाया। दूसरी ओर भाजपा ने दिवाली के अवसर पर चुनाव के मध्य पैसा, शराब आदि वितरित करने का कार्यक्रम तय कर लिया है।

50 से 55 के बीच मानी जा रही है, जो पिछले विधानसभा चुनाव में लड़ी गई सीटों से कम है।

महत्वपूर्ण यह है कि राहुल गांधी इतने अहम बिहार चुनावों पर ध्यान एवं समय देने के बजाय, दक्षिण अमेरिका के दौर पर क्यों गये, जबकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस चुनाव को हर कीमत पर जीतना चाहते हैं।

इसके साथ ही, कांग्रेस पार्टी ने अभी तक महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी के रूप में तेजस्वी यादव का समर्थन नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने बयान दिया है कि इंडिया ब्लाॉक मुख्यमंत्री उम्मीदवार पर फैसला एक बैठक के बाद सामूहिक रूप से करेंगा।

विपक्ष के सामने मुश्किलों का

अम्बार है, जबकि भाजपा पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर चुकी है, और चर्चा है कि वह दीवाली से पहले मतदाताओं को लुभाने के लिए बड़े पैमाने पर घन और शराब बांट सकती है और इधर, विपक्ष अब तक सीट बंटवारे को ही अंतिम रूप नहीं दे पाया है, जिससे चुनावी मुकामले में उसकी स्थिति कमजोर होती दिख रही है।

मानवाधिकार आयोग ने ट्रोगा सैन्टर अग्निकांड का प्रसंज्ञान लिया

जयपुर, 7 अक्टूबर। राज्य मानवाधिकार आयोग ने एसएमएस अस्पताल के ट्रोगा सेंटर में हुए अग्निकांड से आठ मरीजों की मौत सहित, बालकों को खांसी का सिरप देने

■ आयोग ने बालकों को अमानक कफ सिरप देने तथा मृत बालक की आंख निकालने के मामले में भी अधिकारियों से जवाब मांगा।

और मृत बालक की आंख निकालने के मामले में स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लिया है। वहीं, आयोग ने इन सभी घटनाओं पर एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक व प्राचार्य सहित, राज्य के मुख्य चिकित्सा सचिव, जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर पुलिस कमिश्नर और सीएमएचओ प्रथम व द्वितीय से जवाब देने के लिए कहा है। आयोग ने इन्हें कहा है कि वे इन सभी घटनाओं की बिन्दुवार प्रगति रिपोर्ट पेश

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

तीन अमेरिकी वैज्ञानिकों को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है। जॉन क्लार्क, मिशेल माइकल डेवोरेट और जॉन एम. मार्टिनिस को क्वांटम मैकेनिक्स में खोज के लिए नोबेल प्राइज से नवाजा जाएगा। नोबेल पुरस्कार पाने वाले तीनों अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। स्वीडन की रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने इसकी घोषणा

■ जॉन क्लार्क, मिशेल डेवोरेट तथा जॉन मार्टिनिस को यह पुरस्कार क्वांटम मैकेनिक्स की खोज के लिये दिया गया है।

की है।

भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, बर्कले के जॉन क्लार्क, येल यूनिवर्सिटी और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, सांता बारबरा के मिशेल एच. डेवोरेट और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, सांता बारबरा के जॉन एम. मार्टिनिस को प्रदान किया जाएगा।

रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने "इलेक्ट्रिक सर्किट में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा क्वांटिकरण को खोज" के लिए उनके अग्रणी कार्य को

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘मुझे न लोभ है न पश्चाताप, मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने की घटना से’

‘मुख्य न्यायाधीश उच्चतम संवैधानिक आसन पर विराजते हैं, उनका हिंदू धर्म पर हल्की टिप्पणी करना शोभा नहीं देता’

- डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 7 अक्टूबर। सुप्रीम कोर्ट के अन्दर भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बी. आर. गवई पर जूता फेंकने की घटना के एक दिन बाद, निलंबित वकील राकेश किशोर ने अपने इस कदम पर कोई पछतावा नहीं जताया। उन्होंने कहा कि उन्हें "कोई अफसोस नहीं" है और यह कदम सीजेआई की उन टिप्पणियों के प्रतिक्रियास्वरूप था, जो उन्होंने मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर परिसर में भगवान विष्णु की मूर्ति के पुनर्निर्माण और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर कार्रवाई से जुड़े एक केस में की थीं।

राकेश ने कहा, "16 सितंबर को सीजेआई की अदालत में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। सीजेआई ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, "जाओ, मूर्ति से कहा कि वह खुद अपना सिर

■ निष्कासित अधिवक्ता राकेश किशोर 2009 से दिल्ली की बार काउंसिल के सदस्य हैं, वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, शाहदरा बार एसोसिएशन के भी पुराने सदस्य हैं। उन्होंने ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन द्वारा उनके कृत्य के विरोध में प्रोटेस्ट आयोजित करने के बारे में कहा कि केवल सात वकीलों ने इसमें भाग लिया था, इससे यह साबित होता है कि अधिकांश वकील मेरे कृत्य के समर्थन में हैं।

जोड़ ले।" उन्होंने कहा, "जब भी हमारे सनातन धर्म से जुड़ा कोई प्रकरण आता है, सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही आदेश देता है। याचिकाकर्ता को राहत मत दो, लेकिन उसका मजाक तो मत उड़ाओ... मुझे बहुत ठेस पहुंची थी।" उन्होंने मीडिया से कहा कि ऐसे कई और भी मुद्दे हैं, जिससे वे आहत हैं।

उन्होंने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर दोहराया, "मेरी सुप्रीम कोर्ट से अपील है, "हमारे भगवान और हिंदू धर्म का मजाक मत उड़ाएं। मैं आहत हुआ था।

मैं नशे में नहीं था, यह उनकी क्रिया पर मेरी प्रतिक्रिया थी। मुझे डर नहीं है और न ही मुझे अपने किये का कोई पछतावा है।"

जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने अनुसूचित जाति से आने वाले सीजेआई गवई को क्यों निशाना बनाया, तो किशोर ने कहा, "मेरा नाम डॉ. राकेश किशोर है, क्या कोई बता सकता है कि मेरी जाति क्या है? हो सकता है कि मैं दलित हूं। यह एकतरफा बात है कि आप उनका (सीजेआई गवई का) बचाव इस

आधार पर कर रहे हैं कि वे दलित हैं।" किशोर ने जोर देते हुये कहा कि सीजेआई दलित नहीं हैं। उन्होंने कहा, "वे पहले सनातनी हिंदू थे, बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया। अगर उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ दिया है, तो वे दलित कैसे रहे? यह सोच का सवाल है।"

अपने कदम के असर के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में किशोर ने कहा, "जजों को अपनी संवेदनशीलता पर काम करना चाहिए। लाखों मामले लंबित हैं। मैं माफी नहीं मांगूंगा, और न अफसोस व्यक्त करूंगा। मैंने कुछ नहीं किया, जो आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं। भगवान ने मुझसे यह करवाया।"

उन्होंने आगे कहा, "सीजेआई को सोचना चाहिए कि जब वे इतने ऊंचे संवैधानिक पद पर बैठें हैं, तो 'माइलॉर्ड' शब्द की गरिमा को समझें और उसे बनाए रखें। आप मॉरीशस जाकर कहते हैं कि देश बुलडोजर से नहीं चलेगा। मैं

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अलवर बालिका गृह की अव्यवस्थाओं पर हाई कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी

जयपुर, 7 अक्टूबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने अलवर बालिका गृह की अव्यवस्थाओं से जुड़े मामले में बाल अधिकारिता निदेशक को तलब करते हुए तथ्यात्मक रिपोर्ट देने के लिए कहा है। एक्टिंग सीजेएसपी शर्मा व जस्टिस बीएस संघू की खंडपीठ ने यह आदेश मामले में बालिका गृह की बालिकाओं की ओर से

■ बालिका गृह की बालिकाओं ने गत दिनों हाई कोर्ट को शिकायती पत्र भेजा था।

भेजे एक पत्र पर लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिप्र। सुनवाई के दौरान एएजी मनोज शर्मा ने कहा कि संबंधित बालिका गृह को राज्य सरकार साल 2022 तक अनुदान देती थी, लेकिन उसके बाद अनियमितताओं के चलते इसे बंद कर दिया। वहीं, बालिका गृह के संचालक ने ही मिलीभगत कर छात्राओं से

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)